न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—101/2015/225 आर.टी.एक्ट (2015/00119)

1. श्री मांगीलाल बालिग पुत्र स्व0 श्री विरमा जाति गुर्जर
2. श्री घासी बालिग पुत्र स्व0 श्री विरमा जाति गुर्जर
   निवासी ग्राम बड़ा आसन, तहसील मसूदा, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. श्री लादू बालिग पुत्र पन्ना
2. श्री भैरू बालिग पुत्र पन्ना
3. श्री जीवण बालिग पुत्र पन्नी
   समस्त जाति गुर्जर निवासी गांव बडा आसन तहसील मसूदा जिला अजमेर।
4. श्री हेमराज बालिग मुतबन्ना पुत्र हरचंद जाति गुर्जर
5. श्री भंवर बालिग पुत्र मेवाराम जाति गुर्जर
6. श्री प्रभु बालिग पुत्र मेवाराम जाति गुर्जर
7. सांवरा बालिग पुत्र हरदेव जाति गुर्जर
8. पांचू बालिग पुत्र स्व0 राम जाति गुर्जर
9. धर्मा बालिग पुत्र स्व0 राम जाति गुर्जर
10. नारायण बालिग पुत्र स्व0 राम जाति गुर्जर
11. भारमल बालिग पुत्र स्व0 राम जाति गुर्जर
    निवासी ग्राम बडा आसन तहसील मसूदा जिला अजमेर।
12. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, मसूदा।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व आदेश दिनांक 15.07.2011 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलेक्टर मसूदा, राजस्व वाद संख्या 05/2005

उपस्थितः—

1. श्री ज्ञानचंद गादिया अभिभाषक अपीलांट
2. श्री एस.पी औझा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 12
4. रेस्पोडेंट संख्या 4 से 11 अनुपस्थितं

निर्णय

दिनांकः—12.10.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलेक्टर मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 05/2005 में पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक 15.07.2011 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी—वादीगण ने उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलेक्टर मसूदा के न्यायालय में एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम बाबत आराजी खसरा संख्या 463 रकबा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

3–0–10 वाकै गावं बड़ा आसन बाबत प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध दायर किया था जो कि उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलेक्टर मसूदा द्वारा दिनांक 22.06.2007 को आंशिक रूप से डिक्री कर दिया था जिसकी अपील अपीलार्थीगण द्वारा अपील संख्या 200/2007/223 माननीय न्यायालय में दायर किए जाने पर न्यायालय ने दिनांक 2.09.2008 को निर्णित करते हुए प्रतिवाद पत्र पेश करने का अवसर दिए जाने का आदेश देते हुए रिमाण्ड कर दिया था जो कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। वाद के विचाराधीन व लंबित रहते, प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 ने इसी आराजी खसरा संख्या 463 रकबा 3–0–10 के बाबत अपीलार्थीगण के विरूद्ध व उक्त वाद के अन्य पक्षकारान के विरूद्ध दिनांक 3.05.2011 को वाद अंतर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उनमान लादू व अन्य बनाम मांगीलाल व अन्य दायर कर दिया, साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा निषेधाज्ञा दिनांक 3.05.2011 को ही जारी कर दी जिसकी अपील माननीय न्यायालय में दायर किए जाने पर माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 30.05.2011 द्वारा अपील मंजुर कर अधीनस्थ न्यायालय का निषेधाज्ञा आदेश निरस्त कर दिया व यह निर्देश प्रदान किया कि व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर दोनों पक्षों की बहस सुन कर स्पष्ट एवं विधिसम्मत निर्णय एक माह में करें। उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दी। अधीनस्थ न्यायालय में बाद में दायर किए गए वाद संख्या 46 सन् 2011 व आवेदन पत्र संख्या 40 सन् 2011 में तारिख पेशी दिनांक 15.06.2011 को अपीलार्थीगण ने जवाब आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 212, व प्रतिवाद पत्र पेश कर दिया साथ ही आवेदन पत्र अंतर्गत धरा 10 व 151 जाब्ता दिवानी मय दस्तावेज पेश कर दिए। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14.07.2011 को अपीलार्थीगण का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 10 जा.दी. व 151 जा.दी. स्वीकार कर अपने आदेश दिनांक 14.07.2011 द्वारा बाद में दायर किये गये वाद संख्या 46/2011 की समस्त कार्यवाही को स्थगित कर दिया, साथ ही विधिक प्ररण संख्या 40/2011 की भी सभी कार्यवाही को स्थगित कर दिया। मूल वाद संख्या 5/2005 में प्रतिवादीगण की जानिब से सम्पूर्ण प्रतिवाद पत्र ही तरमीम करने हेतु आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 16 जा.दी. पेश हो रखा था, जिसका जवाब अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 15.07.2011 को पेश कर दिया था व जिसमें आंशिक बहस भी सुनी ली गयी थी व पीठासीन अधिकार ने संशोधन का प्रारूप पेश करने हेतु मौखिक आदेश दिया था व उस दिवस को निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर बहस नही सुनी गई थी, इसके पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.07.2011 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिये है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलेक्टर, मसूदा के आदेश दिनांक 15.07.2011 से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 11 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी–अप्रार्थी जो कि अपने पूर्वजों के समय से ही वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा संख्या 356 हाल खसरा संख्या 463 रकबा 3–0–10 पर काबिज काश्त चले आ रहे है व अपनी ही खातेदारी की भूमि पर वर्षों से काबिज काश्त होने के बावजूद प्रश्नगत आदेश पारित कर व अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर भारी भूल की है

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

जबकि अपीलार्थीगण के पूर्वज वीरमा राजस्व अभिलेखो जमावंदी संवत् 1359 फसली से 2027 तक की मे सहखातेदार, काश्तकार अंकित चले आ रहे थे एवं सेटलमेंट के समय प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 या उनके पूर्वज ने अपीलार्थीगण के पूर्वज व अपीलार्थीगण का नाम ही राजस्व अभिलेखो से हटवा दिया जबकि ऐसा कोई आदेश सक्षम न्यायालय या अधिकारी का नहीं था। अपीलार्थीगण को उपरोक्त की जानकारी होने पर उन्होंने उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, मसूदा के न्यायालय में वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 463 बाबत राजस्व वाद संख्या 05 सन् 2005 अजनाम मांगीलाल गुर्जर व अन्य बनाम भैरू गुर्जर व अन्य दिनांक 12.01.2005 को दायर किया जिसके सम्मन भी प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 को तामिल हुए उनकी ओर से अभिभाषक उपस्थित हुए किन्तु बाद में हिदायत पैरवी न होना जाहिर कर दिए जाने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही कर दी गई व तत्पश्चात् न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.06.2007 आंशिक रूप से अपीलार्थीगण को सहखातेदार काश्तकार मान कर वाद डिक्री कर दिया जिसकी अपील, अपील संख्या 200 सन् 2007 माननीय न्यायालय में किए जाने पर, माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 2.9.2008 आंशिक रूप से स्वीकार कर वाद रिमाण्ड मसूदा न्यायालय को कर दिया जिसमें की आगामी तारीख पेशी 8.6.2011 ही है। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 द्वारा दायर किए गए वाद संख्या 46 सन् 2011 व विविध प्रकरण संख्या 40 सन् 2011 की समस्त कार्यवाही अपीलार्थीगण के आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 10 को स्वीकार कर स्थगित किए जाने के आदेश दिनांक 14.07.2011 को ही पारित कर दिए अतएवं समस्त कार्यवाही स्थगित कर दिए जाने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार किसी भी प्रकार की कार्यवाही किए जाने का नहीं रह गया था। अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत आदेश दिनांक 15.07.2011 न केवल पत्रावली पर विद्यमान दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के सन्तुलन के एवम मांगे गये अनुतोष के सर्वथा विपरीत ही नहीं, वरन विधिक प्रावधानो, प्रपिादित सिद्धान्तों, परिपाटियों व न्यायिक दृष्टांतो के भी प्रतिकूल है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलेक्टर, मसूदा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.2011 को निरस्त फरमाया जाने के आदेश प्रदान करावे।

5. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 ने दौराने जवाब/बहस अपील में निवेदन किया कि विवादित आराजी बाबत् अपीलांट लगभग 50 वर्षो से अधिक समय से काबिज काश्त नहीं चला आ कर विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से0 3 काबिज काश्त चले आ रहे है तथा अपीलांट द्वारा उक्त अपील रेस्पोडेन्टस को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य प्रस्तुत की है तथा उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 15.07.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की जो कि अन्तरिम आदेश की परिभाषा में आती है, उक्त अपील मान्नीय न्यायालय के समक्ष संधारण योग्य नही होने से इसी स्तर पर खारिज की जावें। रेस्पोडेन्टस ने अपीलांट को बेदखल करने बाबत् कोई धमकी आदि नहीं दी। रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 03 के पूर्वज विवादित आराजी के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित थी। मान्नीय न्यायालय के द्वारा विवादित आराजी के यथास्थिति बनायी रखने के आदेश दिये है, अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश को निरन्तर कायम रखने बाबत् दिया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज फरमायी जाने के आदेश प्रदान करावे।

6. पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख, अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय का अवलोकन एवम् उभय पक्षकारान के अभिभाषकगण द्धारा बहस के

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

दौरान दिये गये तर्को के क्रम में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 15.07.2011 के विरूद्ध पूर्व में अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत दिनांक 29.07.2011 को प्रस्तुत की गई थी तथा दिनांक 29.07.2011 को स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.07.2011 को निरस्त किया गया था जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट लादू द्वारा मान्नीय राजस्व मण्डल में निगरानी याचिका संख्या 6299/2011 पेश की गई थी जो निर्णय दिनांक 24.02.2015 द्वारा हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 29.07.2011 को निरस्त कर प्रकरण पक्षकारान की उपस्थिति में पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था। जिसके पश्चात् प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर किया सभी पक्षकारान को नोटिस जारी किये जाकर, जवाब/सुनवाई का अवसर देते हुए मान्नीय मण्डल के निर्देशो के अनुसार उभयपक्षकान को सुना गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद पत्र संख्या 05/2005 में दिनांक 14.07.2011 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 व 151जा.दी. को स्वीकार कर बाद में दायर किये गये वाद संख्या 40/2011 की समस्त कार्यवाही को स्थगित कर दिया तथा साथ ही विधिक प्रकरण संख्या 46/2011 की भी सभी कार्यवाही को स्थगित कर दिया था तो वाद संख्या 46/2011 एवं 5/2005 दोनो में की जाने वाली कार्यवाही एक समान होगी उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे की पत्रावली संख्या 5/2005 में प्रकरण संख्या 40/2011 में दिये गये आदेश दिनांक 3.05.2011 को जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश को निरन्तर जारी रखने का आदेश पारित किया है जो कानूनन दावे की पत्रावली में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश जारी नहीं किया जा सकता है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानो के विपरीत जाकर आदेश पारित किये है जो निरस्त योग्य है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मसूदा के आदेश दिनांक 15.07.2021 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वाद संख्या 5/2005 की पत्रावली में विचाराधीन प्रार्थना पत्रों का सभी पक्षकारान को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए निस्तारण करते हुए राजस्व वाद में कार्यवाही करें। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.11.2022 को उपस्थिति होने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 12.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर